an>

Title:Alleged harassment meted out to the farmers of Uttar Pradesh with regard to the implementation of the project to make river Ganga pollution-free.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में एक जनहित का मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वाराणसी गंगा के प्रवाह का एक बड़ा पवित्र केन्द्र है।...(व्यवधान) यह जो शोर कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो इन्हीं के नेता ने वहां से गंगा प्रदूÂाण मुक्ति की शुरुआत की। वाराणसी में सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के लिए दीनापुर में किसानों की 50 एकड़ जमीन ली गई।...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: If you want the Minister to reply, he has assured me that he is ready to give his statement. So, let him come. That time, he will give the statement.

...(*Interruptions*)

HON. SPEAKER: He is ready to give the statement, but not now. Let him come.

...(*Interruptions*)

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: वÂान 1995 में किसानों को केवल 25 प्रतिशत मुआवजा मिला। 1986 से 50 किसान उससे प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश की निर्माण इकाई जल निगम जिसके जिम्मे ट्रीटमैंट प्लांट का काम था,...(व्यवधान) यह गंगा का मामला है, दो मिनट का समय दे दीजिए, उन्होंने किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया।...(व्यवधान) किसान जिला न्यायालय गए। जिला न्यायालय ने किसानों के पक्ष में फैसला दे दिया। जल निगम उनके खिलाफ हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में लिखा। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Since the Government is not responding, we would walk out. ...(*Interruptions*)

12.17 hrs

(At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri P. Karunakaran

and some other hon. Members left the House.)

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: उसके बाद जल निगम मुआवजा देने के बजाए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुन: जिला न्यायालय में रिविजन के लिए भेजा। जिला न्यायालय ने फिर पक्ष में फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने 23 मार्च को किसानों के पक्ष में पुन: फैसला दिया। किसान 35-36 वÂाों से लड़ रहे हैं। उनमें से 17 किसानों का जीवन समाप्त हो गया, कुछ गरीबी, भुखमरी के कारण मुकदमा लड़ने के पात्र नहीं रहे। 23 मार्च को वाराणसी के दीनापुर गांव के 50 एकड़ प्रभावित किसानों के पक्ष में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने पुन: फैसला दिया। लेकिन वाराणसी की जल निगम इकाई उन्हें मुआवजा देने की जगह 36 साल बाद पुन: सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में जल निगम के अधिकारी कैसा कार्य करते हैं, इसका छोटा सा नमूना आज वर्तमान सरकार के सामने दे रहा हूं। पूरे बनारस की सड़कें खोद दी गई, अंडरग्राउंड पाइप डाल दी गई, लेकिन पाइप गली में कहां जोड़ी जाएगी, इसके कनैक्शन का एक भी प्वाइंट निर्धारित नहीं किया गया। वह जल निगम जो वहां प्रयोजना के पैसे अपनी तनख्वाह बांटने में लगा देता है, किसानों को पैसे नहीं दे रहा है। चन्दौली संसदीय क्षेत्र के शिवपुर विधान सभा के दीनापुर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनका पैसा दिलाया जाए। वे रहम की यही भीख मांग रहे हैं कि वर्तमान रेट में मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए जिसके पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला तीसरा बार आ चुका है। उन्हें न्याय दिलाया जाए ताकि नमामे गंगे जो हमारे प्रधान मंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है, उसका दूसरा चरण शुरू किया जा सके और गंगा की निर्मलता, स्वच्छता का अभियान आकार ले सके, साकार रूप हो सके। आपके माध्यम से यही निवेदन है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री निशिकांत दुबे,

डा. किरिट पी. सोलंकी और

श्री अजय मिश्रा टेनी को डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाए गए विÂाय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

Shri Babulal Choudhary – not present.